PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Sunday 10th January 2016, Page: 6
Width: 8.17 cms, Height: 12.69 cms, a4, Ref: pmin.2016-01-10.51.31

मेडिकल रिसर्च पर मिल सकती है टैक्स में छूट

प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

देश में नई दवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार मेडिकल रिसर्च पर होने वाले खर्च पर इनकम टैक्स में राहत देने पर विचार कर रही है। दवा कंपनियां एक अर्से से सरकार से इसकी मांग कर रही हैं। गौरतलब है कि भारत दवा उत्पादन के मामले में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर यहां नई दवाओं का विकास बहुत कम हो रहा है। इसकी वजह ज्यादातर दवा कंपनियों का जेनरिक दवाओं के उत्पादन को तरजीह देना है। दवा कंपनियों का कहना है कि एक नई दवा के विकास पर बहुत पैसा खर्च होता है, अगर नई दवा नहीं बन पाई तो यह पैसा बेकार चला जाता है। उनका कहना है कि अगर सरकार इस खर्च पर इनकम टैक्स न ले तो काफी राहत मिल सकती है।

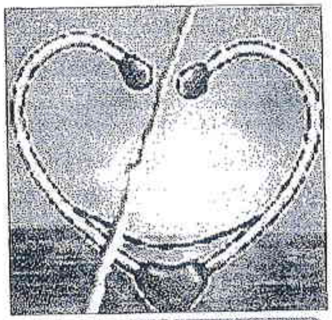

देश में नई दवाओं का विकास बहुत कम हो रहा है

उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। वह भी चाहता है कि नई दवाओं के विकास पर खर्च होने वाली राशि पर इनकम टैक्स न लिया जाए। वह इस बाबत देश की बड़ी दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कराने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट में मेडिकल रिसर्च पर होने वाले खर्च पर इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि दवाओं की खोज पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए भारत की ज्यादातर दवा कंपनियां नई दवाओं के विकास में ज्यादा रुचि नहीं लेतीं। इस बाबत देश में जो थोड़ा-बहुत काम हो भी रहा है, वह मल्टीनैशनल कंपनियां कर रही हैं।

Proposed to offer Tax relief on Drugs R&D